न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री राजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्याः–54/2022 (GCMS No. 2022/56) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. मांगी उम्र 66 साल पुत्र छोटे
2. चिरंजी उम्र 64 साल (**फौत**)
   - 2/1 कैलाश उम्र 35 साल
   - 2/2 नरसी उम्र 32 साल
   - 2/3 इन्द्राज उम्र 30 साल
   - 2/4 रूकम उम्र 28 साल

   } पुत्रान स्व. चिरंजी

   - 2/5 कल्लो उम्र 65 साल पत्नि स्व चिरंजी
3. वली उम्र 62 साल पुत्र छोटे (**फौत**)
   - 3/1 मुनेश उम्र 34 साल
   - 3/2 नरेश उम्र 32 साल
   - 3/3 अंकेश उम्र 28 साल
   - 3/4 मनकेश उम्र 24 साल

   } पुत्र स्व. वली

   - 3/5 नरसो उम्र 30 साल पुत्री स्व. वली
   - 3/6 ब्रह्मपति उम्र 62 साल पत्नी स्व. वली
4. कल्याण उम्र 60 साल पुत्र छोटे
5. काडू उम्र 58 साल पुत्र छोटे

समस्त जातियान मीना निवासीयान बरगमां तहसील व जिला करौली।

.....**अपीलांटस**

बनाम

1. चीमा उम्र 66 साल पुत्र भौरया
2. प्रहलाद उम्र 61 साल
3. हरि उम्र 59 साल
4. प्यारेलाल उम्र 51 साल

} पुत्रान सुगन जाति मीना निवासी बरगमा तहसील व जिला करौली।

5. एस.डी.ओ. करौली तहसील करौली पट्टा भूमि आवंटन करने वाले।

.....**रेस्पोडेंटस**

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलक्टर करौली दिनांक 21.04.2022 मुकदमा नम्बर 4/21 उनवान मांगीलाल बगै. बनाम चीमा बगै. अन्तर्गत धारा 14(4) एलॉटमेंट रूल्स एवं एलॉटमेंट आदेश दिनांक 16.07.1971

उपस्थितिः–

1. अपीलांट की ओर से श्री नेमीचन्द गर्ग, वकील।
2. रेस्पोडेंट संख्या 1 लगा. 4 की ओर से श्री विष्णुचन्द बंसल वकील।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

नि र्ण य दिनांक : **21.06.2024**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 21.04.2022 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि आवंटी रेस्पो. भौरया पुत्र नत्थू जाति मीना निवासी बरगमां तहसील व जिला करौली को आराजी खसरा नम्बर 2418 रकवा 4 बीघा भूमि वांके ग्राम बरगमां में भूमि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिनांक 16.07.1971 को आवंटित की गई थी। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) जिला कलक्टर करौली के समक्ष इस आशय का पेश किया कि उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी व पश्चातवर्ती खातेदारान का कब्जा नहीं है। आवंटी द्वारा मुताबिक नियम प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि काश्त नहीं की और न ही अगले वर्ष सम्पूर्ण भूमि पर काश्त की है। विवादित आराजी पर आवंटी का कब्जा नहीं है तथा रिहायशी घर घूरे बने हुये हैं। एलॉटमेंट की जमीन दूसरी जगह है। अतः आवंटन निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के आवेदन को अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया गया।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट की ओर से पैरवी हेतु श्री विष्णु चन्द बंसल एडवोकेट हाजिर अदालत आये।
3. हमने उभयपक्ष की अपील पर बहस सुनी।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस ने दौराने बहस अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए दलील देते हुये कथन किया कि आवंटित की गई जमीन अन्य स्थान पर है जिस पर ही गैर सायलान का कब्जा है। नक्शा ट्रेस में उकत जमीन को दूसरी जगह दर्शायी है। आवंटन के पट्टे में दूसरी जगह है। नक्शा में जो दर्शायी गई है उस स्थान पर अपीलांट के वाडे व मकान बने हुए है और अपीलांटस काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली द्वारा दिनांक 16.07.1971 को रेस्पो. संख्या 1 के पिता भौंरया के नाम खसरा नम्बर 2418 रकवा 4 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटन से पूर्व न तो कोई सार्वजनिक सूचना निकाली गई और न ही आम ग्रामीणों से आवेदन आमंत्रित किये गये। एकतरफा में कागजी खानापूर्ति कर आवंटन किया गया है। आवंटन कमेटी ने मात्र कानूनी कार्यवाही की है तथा वास्तविक भौतिक स्थिति के नहीं देखा गया। आवंटन नियमों के मुताबिक प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि काश्त की जानी आवश्यक है तथा अगले वर्ष समस्त आराजी पर कब्जा काश्त होना आवश्यक है। मौके पर भौरया और उसके बाद वाले का कब्जा नहीं रहा है। गिरदावरी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रवली में पेश है। सार्वजनिक तौर पर विज्ञप्ति जारी की जाती तो प्रार्थीगण

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

21/6/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

उसमें हकूक की बात उठाते। मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा है तथा रिहायशी घर घूरे गैत बाडे आदि बने हुए हैं। पूर्वजों के समय से अपीलांटस घर बनाकर मय परिवार रिहायश कर रहे हैं। रेस्पो. खसरा नम्बर 2417/3 को आवंटित भूमि बताते हैं जिसकी तरमीम का नक्शा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। तरमीम के स्थान पर अपीलांटस की आबादी है। जिसकी तस्दीक मौके पर कमिश्नर भेजकर की जा सकती है। दिनांक 08.06.2021 को रेस्पो. बहस के समय आये और कहा कि हमने आपस में खरीद फरोख्त कर ली है तुम गैत बाडों आदि को खाली कर चले जाओ नहीं तो बुलडोजर से नष्ट कर देंगे। तब अपीलांटस ने नकल जमाबंदी, नक्शा ट्रेश लिया जिसके अनुसार तरमीम हमारी आबादी में कर दी गई तो अपीलांटस ने हल्का पटवारी व दीगर से मालूमात की तो पता चला कि उक्त भूमि का रेस्पो. संख्या 1 के पिता ने गलत तौर पर आवंटन करा लिया है। रेस्पो. प्रहलाद, हरि सुगन के पुत्र हैं तथा सुगन आवंटी का भाई लगता है। सुगन व भौरया दोनों मर चुके हैं। प्रहलाद हरि ने स्वयं के खास भाई प्यारेलाल रेस्पो. नं. 4 के नाम आपसी षडयंत्र रचकर वयनामा रजिस्टर्ड करा लिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर करौली का निर्णय दिनांक 21.04.2022 एवं आवंटन आदेश दिनांक 16.07.1971 निरस्त फरमाये जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस दलील दी कि रेस्पो. संख्या 1 के पिता भौरया को आराजी खसरा नम्बर 2418 रकवा 4 बीघा भूमि का आवंटन विधिवत रूप से हुआ। आवंटन की शर्तों का विधिवत पालन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा वस्तुस्थिति की रिपोर्ट पेश की। आवंटन के बाद गैर खातेदार दर्ज किया गया और नियमानुसार खातेदारी हुई। भौरया ने उक्त भूमि प्रहलाद व हरी पुत्रान सुगन मीना को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय किया गया है। अपीलांट की कोई खातेदारी व कब्जा नहीं है। खातेदारी मिलने के बाद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। रंजिशवश अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा आवंटन करने के बाद पटवारी हल्का द्वारा भूमि की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिसके आधार पर आवंटी भौरया को आराजी खसरा नम्बर 2418 में से रकवा 4 बीघा भूमि वांके ग्राम बरगमां का आवंटन किया गया। तथा आवंटन के बाद आवंटित भूमि पर आवंटी को विधिवत कब्जा संभलाया गया। जिसके आधार पर आवंटी को खातेदारी प्राप्त हो चुकी है। आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने के संबंध में अपीलांट द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किये जिससे आवंटी का कब्जा नहीं होना सिद्व होता हो।

2116

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

7. अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर करौली द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया है कि "आवंटी द्वारा आवेदन करने के उपरान्त पटवारी हल्का द्वारा भूमि की स्थिति की रिपोर्ट की है एवं आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटी को भूमि आवंटन की सलाह दी गई है जिसके आधार पर आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटी को भूमि आवंटित की गई है। इसके उपरान्त आवंटी को आवंटित भूमि पर विधिवत कब्जा दिया गया है। आवंटी को उक्त भूमि की खातेदारी प्राप्त हो चुकी है। आवंटी एवं पश्चातवर्ती खातेदारान द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर फसल काश्त की गई हैं इस वर्ष भी आवंटित भूमि पर वर्तमान खातेदारानद्वारा फसल तिल काश्त की गई है। आवंटित भूमि पर वर्तमान खातेदारान का कब्जा है। सायलान के उक्त आवंटित भूमि पर किसी भी तरह के हक हकूक नहीं हैं और न ही किसी तरह के अधिकार प्रभावित होते हैं। चूँकि सायलान द्वारा आवंअन को गलत ठहराते हुये यह प्रार्थना पत्र पेश किया है इसलिए उक्त आवंटन किस तरह गलत है या आवंटन की किस शर्त का आवंटी या पश्चातवर्ती खातेदारान द्वारा पालन नहीं किया गया है, यह साबित करने का भार सायलान पर है जिसे साबित करने में सायलान सफल नहीं हुए हैं।"

8. अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में और न ही इस न्यायालय में आवंटी के खातेदारी अधिकार नहीं मिलने, कब्जे व फसल काश्त रेस्पोडेन्ट द्वारा नहीं करने बावत् कोई ठोस साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये हैं जिससे यह साबित होता हो कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई। खातेदारी अधिकार प्रापत होने के बाद राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 की धारा 14(4) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर करौली द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

9. फलस्वरूप अपीलांट की अपील खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर करौली का निर्णय दिनांक 21.04.2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर